

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक: प.8(ग)()नियम/डीएलबी/2019/२४६७०

जयपुर, दिनांक: ५।६।१९

आदेश

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194 में भवन निर्माण की स्वीकृति देने के लिए जो मानदण्ड निर्धारित किये हुए हैं, उनकी अवहेलना की स्थिति में ऐसे भवन या उनके भाग जिसमें निर्धारित मानदण्डों के प्रतिकूल निर्माण किया गया हो, ऐसे अपराधों के मामलों में इस नियम की उप धारा 12 में अपील सुनने का अधिकार निदेशक स्थानीय निकाय को नगर निगमों के लिए और अतिरिक्त निदेशक को नगर परिषद व पालिकाओं के लिए अधिकार उप निदेशकों में प्रदत्त किये हुए हैं।

इस संबंध में निर्देशानुसार यह निर्धारित किया जाता है कि निदेशक के अलावा जो अन्य अधिकारी हैं यदि व सील खोलने का आदेश देते हैं तो उन्हे निदेशक स्थानीय निकाय की जानकारी में लाकर सहमति प्राप्त करनी होगी एवं निदेशक द्वारा जो आदेश नगर निगमों के लिए दिये जाएंगे ऐसे आदेश माननीय मंत्री महोदय की अग्रिम जानकारी में लाए जावेंगे।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8(ग)()नियम/डीएलबी/2019/२४६७०-२९१।९ दिनांक: ५।६।१९
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
3. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय।
6. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग समस्त राजस्थान।
8. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/नगर परिषद/पालिकाए समस्त राजस्थान।
9. आयुक्त/अधिशासी अधिकारी नगर निगम/नगर परिषद/पालिकाए समस्त राजस्थान।
10. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी